न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः—22/2025 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के—1366)

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर

—प्रार्थी

बनाम

1 श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता) मैसर्स—बालाजी मिष्ठान भंडार, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II)/51 FSSA Act 2006

—:निर्णयः— दिनांकः—27.05.2025

यह इस्तगासा **श्री हसंराज गोदारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है— यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालिन **खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत** दिनांक 10.02.2022 को समय **11:30 बजे** को **मैसर्स—बालाजी मिष्ठान भंडार, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला गंगानगर** पर निरीक्षण हेतु पहंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान में खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई के बारे मे जानकारी चाही इस पर मालिक ने उक्त मिठाई को आमजन मे बेचान वास्ते बताया।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाइ (दूध,चीनी,वर्क,डायफ्रुट से निर्मित) 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खोया का नगद भुगतान 600 रूपये किया तथा कैशमिमो बनवा लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है ओर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खोया 2 किलो कलाकंद मिठाई को बराबर भागों मे बांटकर 04 साफ—सुथरे बोतलों भर कर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40—40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये ओर चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के—1366** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के—1366** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को

जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं रेफरल लैब से पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2022/131-132 दिनांक 11.03. 2022** द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 251 / एक्ट / 2022 / 251 दिनांक 25.02.2022 द्वारा खाद्य पदार्थ **कलाकंद मिठाई का नमूना Sub standard Food** होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान् अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्रांक 1061 दिनांक 18.07.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2023 / 1216–1217 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता)** से खाद्य पदार्थ **कलाकंद मिठाई Sub -standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (I.I) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।** श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री रमेश सारस्वत उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि उपरोक्त सैम्पल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है। जो नियमानुसार सही नही है तथा सैम्पल लेने की फर्द में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका पर नही बुलाया गया। फार्म नं.–5 ए मौका पर तैयार नही किया गया है तथा ना ही फार्म सं.–5 ए मौका पर पढ कर सुनाया गया है। ना ही इस कार्यवाही के संबंध में मौका पर किसी स्वतंत्र साक्षी को नही बुलाया गया है। अप्रार्थी की दुकान पर किसी प्रकार का सबस्टेण्डर्ड फुड होना नही पाया गया। परिवादी के द्वारा समस्त कार्यवाही मनमर्जी से की गई है तथा अपने ही विभाग से अपने अधिकारियों से मिलीभगत गलत तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है इस कारण ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **कलाकंद मिठाई** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **L.S.251/Act/2022/251 दिनांक** 25.02.2022 में खाद्य पदार्थ **कलाकंद मिठाई** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना **के–1366 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(I I) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **कलाकंद मिठाई** हेतु **श्री सुखराज जायसवाल पुत्र श्री किशनलाल जायसवाल (मालिक व विक्रेता) मैसर्स–बालाजी मिष्ठान भंडार, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर को 1,00,000/–(एक लाख रूपये)** रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़